न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी **रूक्मणि रियार सिहाग**
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
151/अपील/16	22.06.2016	04.11.2019

मुकुट बिहारी आ. मोती लाल जाति मीणा,
निवासी ग्राम नीमोदा उजाड़, तहसील दीगोद, जिला कोटा
जरिये मुख्तार राजेन्द्र कुमार आ. गोरधन लाल जाति धाकड़
निवासी ग्राम तुलसी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी

— अपीलान्ट

बनाम

1. नाहर सिंह आ. शंकरलाल जाति मीणा,
   निवासी ग्राम लुहारीकलां, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा
2. रामस्वरूप आ. जगन्नाथ जाति धाकड़,
   निवासी ग्राम कैथूदा, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी
3. गोरधनलाल आ. हरिशंकर जाति धाकड़,
   निवासी ग्राम तुलसी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
4. मोहनलाल आ. हरिशंकर जाति धाकड़,
   निवासी ग्राम तुलसी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारदार तालेडा

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

उपस्थित—

अपीलांट की और से श्री अरविन्द प्रकाश शर्मा एड0
रेस्पो.सं. 1 की और से श्री लीलाधर सिंह एड0
रेस्पो.सं. 2, 3, 4 की और से श्री मोहम्मद मुश्ताक एड0
रेस्पो.सं.5 की ओर से पेरोकार सरकार।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर, बून्दी

निर्णय

यह अपील तहसीलदार तालेडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.16 मिसल संख्या 3/15 अन्तर्गत धारा 183 (बी) से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 इस न्यायालय में पेश की गयी है। अपीलाधीन आदेश के तहत वादग्रस्त आराजी पर से प्रतिवादीगण रामस्वरूप, गोरधनलाल व मोहनलाल धाकड़ को बेदखल करने तथा वादी गिरीश कुमार मीणा व अजित सिंह मीणा को कब्जा संभलाये जाने के आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी ।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुवे तर्क प्रस्तुत किये कि रेस्पो.सं.1 ने एक प्रार्थना पत्र धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तालेडा के यहां प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पीतामपुरा की आराजी खसरा नं. 192 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा भूमि में से प्रार्थी का 1/2 हिस्सा का खातेदार है। प्रार्थी जाति से मीना अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, उक्त भूमि पर सवर्ण जाति के रामस्वरूप धाकड, गोरधन धाकड एवं मोहन धाकड़ ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, इसलिए उनको बेदखल कर कब्जा दिलवाया जावे। उक्त आवेदन का जवाब प्रतिपक्षीगण द्वारा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.12.15 का दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित रहे, आगामी पेशी दिनांक 23.12.15 नियत की गयी। इस बीच पत्रावली जिला कलेक्टर बून्दी के यहां दिनांक 23.12.15 को चली गयी, उक्त पत्रावली से संबंधित कार्यवाही जिला कलक्टर बून्दी के यहां पर चली, जो अदम हाजरी में खारिज होने पर दिनांक 09.5.2016 को जिला कलक्टर बून्दी के यहां से पुनः अधीनस्थ न्यायालय में लौट कर आयी। तब वहां पत्रावली में दिनांक 14.5.16 को राजस्व लोक अदालत शिविर "न्याय आपके द्वार", कैथूदा में पेशी नियत कर दी गयी, किन्तु किसी भी पक्षकार को इसकी सूचना नहीं दी गई, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली आगामी पेशी में लेने की सूचना पक्षकारों को जारी करना आवश्यक था। इस प्रकार पक्षकारान् को सूचना दिये बिना, नोटिस दिये बिना, सरकारी तौर पर शिविर कैथूदा में सोमोटो आगामी पेशी दिनांक 21.05.16 नियत की गई। उक्त तिथि को राजस्व लोक अदालत शिविर कैथूदा में पत्रावली पेश होकर निर्णय हेतु आगामी पेशी दिनांक 30.5.16 को नियत कर दी गई। इसकी भी कोई सूचना पक्षकारान् को नही दी गयी और उक्त तिथि को प्रकरण की सुनवायी कर

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर, बून्दी

एकतरफा निर्णय पारित कर दिनांक 30.5.2016 को वाद वादी स्वीकार कर प्रतिपक्षीगण को बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया, जो अवैध है। इस प्रकार उक्त निर्णय बिना सुनवायी का अवसर दिये व सूचना दिये पारित किया गया है जो खारिज होने योग्य है। अपीलांट विवादित भूमि पर बतौर मुनाफा काश्तकार द्वारा पूर्व खातेदार के मुख्तार आम की हैसियत से काबिज चले आ रहे है। प्रार्थी ने जो अतिक्रमण कर कब्जा करना बताया है वह सर्वथा अवैध है। इस कारण अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का पूर्ण अवसर दिया जाना आवश्यक है। रेस्पो.सं.1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 183(बी) का प्रार्थनापत्र वर्ष 2015 में प्रस्तुत किया था जबकि विवादित आराजी के 1/2 हिस्से के मूल खातेदार रामप्रताप मीना द्वारा भूमि के विक्रय का करार मुकुटबिहारी आ. मोतीलाल मीणा के साथ दिनांक 18.01. 1994 में किया गया था। उक्त वर्ष 1994 के बाद धारा 183(बी) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करने की समयसीमा 12 वर्ष है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी मियाद बाहर पेश होने पर भी स्वीकार किया गया है जो विधिविरूद्ध है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र तथ्यों को छिपाकर पेश किया गया है, क्योंकि विवादित भूमि का वास्तविक कब्जा विक्रय करार के आधार पर मुकुटबिहारी मीणा के पास था फिर भी उक्त प्रार्थना पत्र रामस्वरूप, गोरधनलाल व मोहनलाल के विरूद्ध पेश किया गया है जो केवलमात्र मुख्तारआम दिनांक 30.6.12 के आधार पर उक्त भूमि की देखभाल करने वाले लोग है, जिनका उक्त भूमि पर व्यक्तिगत रूप से कब्जा नहीं है। जबकि वास्तव में मुकुटबिहारी मीणा उक्त भूमि पर विक्रय के करार वर्ष 1994 के आधार पर काबिज है, जिसने उक्त करार की विशिष्ट अनुपालना का वाद सिविल न्यायालय में पेश किया हुआ है जहां मुकुटबिहारी के पक्ष में बेदखली के विरूद्ध स्थगन आदेश भी पारित किया हुआ है। इस प्रकार मुकुटबिहारी स्वयं व उनके निर्देश पर भूमि की देखभाल करने वाले अन्य व्यक्ति भूमि पर ट्रेसपासर नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) पोषनीय नहीं था। प्रार्थी रेस्पो.सं.1 ने जिस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादग्रस्त भूमि को क्रय किया है उस विक्रय पत्र का निष्पादन बिना कब्जे के हुआ है, क्योंकि कब्जा मुकुटबिहारी के पास निरन्तर बना हुआ है। ऐसा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अवैध व प्रभावशून्य है, जिसके आधार पर प्रार्थी को कोई अधिकार अर्जित नहीं होता है, जिससे कि वह धारा 183(बी) का प्रार्थना पत्र अपीलांट के विरूद्ध पेश कर सके। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन मामलें में यदि पक्षकारों की नियत पेशी पर अनुपस्थिति थी तो उक्त प्रार्थना पत्र अदम हाजरी में खारिज होना चाहिये था किन्तु उल्टा जल्दी जल्दी पेशियां देकर निर्णय एकतरफा पारित कर दिया गया और रेस्पो.सं.1 ने इजराय पेश कर बेदखली की कार्यवाही पेश कर दी, जिसकी पालना में तहसीलदार तालेडा द्वारा अपीलांट को विवादित भूमि पर से

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर: बून्दी

दिनांक 07.6.16 को बेदखल करने की धमकी दी। उक्त निर्णय बाबत अपीलांट को बताये जाने पर सर्वप्रथम उक्त निर्णय की जानकारी हुई। इस पर दिनांक 08.6.16 को पत्रावली की सम्पूर्ण नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया, उसी दिन नकल प्राप्त हो गयी और जानकारी की तिथि से नकल के दिन मुजरा करने पर अपील अविलम्ब अवधि मध्य पेश है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन की पुष्टि में ए.आई.आर. 2014 एससी पेज 3070 एवं आर.आर.डी. 2007 पेज 207 की नजीरें पेश करते हुवे अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया ।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि उक्त विवादित आराजी के 1/2 हिस्से की मूल खातेदार धापूबाई भील द्वारा अपने खाने कमाने की गरज से अपने हिस्से की भूमि अक्षय तृतीया (आखातीज) वर्ष 2014 को 2 वर्ष के लिए जो दिनांक 06.05.16 तक प्रभावी है, मुनाफा काश्त की रकम लेकर रेस्पो.सं. 2 रामस्वरूप आ0 जगन्नाथ धाकड़ निवासी कैथूदा को केवल खेती करने के लिए भूमि का कब्जा स्वेच्छा से संभला रखा था, जो अवैध कब्जें की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे में अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 183(बी) की कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को विधिविरूद्ध बताते हुये खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि प्रकरण धारा 183(बी) का होने से इसमें केवल समरी ट्रायल की जाती है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रेस्पो.सं.2 लगायत 4 को दस्तावेज पेश करने व सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है, रेस्पो.सं. 3, 4 द्वारा दिनांक 24.11.15 को एवं रेस्पो.सं.2 द्वारा दिनांक 30.11.15 को अधीनस्थ न्यायालय में अपने अपने जवाब पेश किये गये, किन्तु वहां जवाब पेश किये जाने के बाद रेस्पो.सं. 3, 4 द्वारा प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने की चाह में तथा सुनवाई को स्थगित करने की मंशा से जिला कलक्टर बून्दी के यहां उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया। उक्त प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 15.02.16 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो जाने पर मूल पत्रावली वापस अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुई। अप्रार्थीगण की सुनवाई पूर्व में ही की जा चुकी थी, उनके द्वारा पेश किये गये जवाबों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही समुचित परीक्षण कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक दोष नहीं है। जहां तक वादग्रस्त आराजी के मालिकाना

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर; बून्दी

हक का प्रश्न है तो पूर्व खातेदार भूतीलाल वल्द छीतरलाल जाति भील निवासी किशनपुरा द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में विरिथत अपना 1/2 हिस्सा हेमन्त कुमार मीणा निवासी रूपेडा, जिला झालावाड़ एवं नाहर सिंह मीणा निवासी लुहारीकलां, जिला भीलवाडा को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.07.2015 से बेचान कर कब्जा संभला दिया है। इसी प्रकार सहखातेदार धापूबाई पत्नी देवीलाल कौम भील निवासी देवरिया द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.08.2015 से वादग्रस्त आराजी में विरिथत अपना 1/2 हिस्सा गिरीश कुमार मीणा निवासी कोटा एवं अजीत सिंह मीणा निवासी लुहारीकलां, जिला भीलवाडा को बेचान कर कब्जा संभला दिया गया। जिसका नामान्तरकरण सं. 347 दिनांक 02.09.15 को खोला जाकर जमाबंदी में खातेदार दर्ज हो चुके है। रेस्पो.सं. 2 लगायत 4 जो सवर्ण जाति के व्यक्ति है उनके द्वारा, रेस्पो.सं.1 एवं गिरीश कुमार मीणा, अजीत सिंह मीणा जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है, की खातेदारी की कृषि भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है जो गैर कानूनी होने से बेदखल किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय के माध्यम से अतिकमियों की बेदखली के आदेश पारित किये गये है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से बहाल रखा जाकर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो.सं.1 द्वारा अपने कथन के समर्थन में आर. आर.डी.1993 पेज 22, आर.आर.डी. 1992 पेज 602, आर.आर.डी. 1992 पेज 275, आर.आर.डी. 1995 पेज 372, आर.आर.डी. 1983 पेज 446 एवं आर.आर. डी. 1998 पेज 607 की नजीरें पेश करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित होने से बहाल रखे जाने एवं अपील अपीलांटस सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि रेस्पो.सं.1 नाहरसिंह मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 रामस्वरूप धाकड, गोरधन धाकड, मोहन धाकड के विरूद्ध तहसीलदार तालेडा के यहां पेश किया गया था, जो दिनांक 09.11.15 को वाद संख्या 3/15 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई उभय पक्षकारान् दिनांक 30.05.2016 को निर्णित किया जाकर अप्रार्थीगण रेस्पो.सं. 3 व 4 गोरधनलाल एवं मोहनलाल पि0 हरिशंकर धाकड तथा रेस्पो.सं. 2 रामस्वरूप आ.जगन्नाथ धाकड को प्रार्थी गिरीश कुमार मीणा की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 192 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम पीतामपुरा हिस्सा 1/2 पर मौके से बेदखल कर वादी को कब्जा संभलाया जाकर भू.अ.निरीक्षक बल्लोप को पालना रिपोर्ट एक माह में पेश करने हेतु आदेशित किया जाकर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

न्यायालय के उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यहां पेश की गई अपील में अपीलांट का तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण रेस्पो.सं. 3 व 4 ने प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 24.11.15 को वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु अवसर चाहा, तब अधीनस्थ न्यायालय की उक्त पत्रावली पर आगामी पेशी दिनांक 27.11.15 नियत हुई। इसी बीच रेस्पो.सं. 3 व 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में केवलमात्र एक पेशी दिनांक 24.11.15 को उपस्थित होकर आगामी पेशी से पूर्व ही दिनांक 26.11.15 को उक्त प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 30.11.15 को रेस्पो.सं. 2 की ओर से जवाब पेश किया गया। इससे पूर्व पेशी दिनांक 27.11.15 को रेस्पो.सं. 3 व 4 की ओर से अंतरिम जवाब प्रार्थना पत्र पेश हो चुका था, तत्पश्चात् पत्रावली पर आगामी पेशी दिनांक 30.11.15, दिनांक 04.12.15, दिनांक 09.12.15 एवं दिनांक 23.12.15 को नियत की गई, किन्तु उक्त 4 पेशियों में अप्रार्थीगण रेस्पो.सं. 3 व 4 की ओर से कोई साक्ष्य आदि पेश नहीं किया गया, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने का तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट का यह भी तर्क है कि विवादित आराजी मुकुटबिहारी द्वारा खरीदी गई है तथा मुख्तारआम की हैसियत से अपीलांट काबिजकाश्त है, किन्तु अपीलांट उक्त आराजी के मुकुटबिहारी को बेचान किये जाने के संबंध में कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पेश नहीं कर पाये है। शून्य दस्तावेज के तहत किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते और न ही उसका कब्जा जायज माना जा सकता है। इस प्रकार जब मुकुटबिहारी को उक्त कृषि भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुये तो उसके द्वारा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित मुख्तारआम कोई महत्व नहीं रखता है। अपीलांट का यह भी तर्क है कि रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया प्रकरण लिमिटेशन से बाहर था। इस संबंध में मुख्तार नामा आम की पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति का अवलोकन करने से जाहिर आया कि उक्त दस्तावेज दिनांक 26.02.2016 को निष्पादित हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय में खातेदार द्वारा पेश धारा 183(बी) की कार्यवाही दिनांक 09.11.15 को दर्ज रजिस्टर हुई है जो राजेन्द्र कुमार धाकड़ के पक्ष में निष्पादित मुख्तारआम के पूर्व ही पेश की हुई थी। अपीलांट द्वारा 12 वर्ष से अधिक पुराना कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये हो, ऐसा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नही होता है। वैसे भी अनुसूचित जाति / जनजाति की भूमि पर से 12 वर्ष या अधिक अवधि बाद भी सवर्ण जाति के व्यक्ति को बेदखल किया जा सकता है, जैसा कि

न्यायालय जिला कलेक्टर * बून्दी (राज.) *

जिला कलेक्टर; बून्दी

आर.आर.डी. 1998 पेज 396 में प्रतिपादित किया गया है। आर.आर.डी. 1998 पेज 607 की नजीर से भी स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि को गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के पास एडवर्स पजेशन, सहमति पर आधारित डिक्री अथवा बंटवारें से स्थानान्तरित करने का कोई भी आदेश गैर कानूनी है। गैर कानूनी आदेश के मामले में लिमिटेशन का बिन्दु, एस्टोपल का बिन्दु एवं रेसजूडिकेटा का बिन्दू लागू नहीं होता है। ऐसे में हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 04.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर बून्दी